प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तरांचल,हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

प्रधानाचार्य / आहरण वितरण अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(यु0)हल्द्वानी
हल्द्वानी, (नैनीताल)

19-12-

पत्रांक : डीटीईयू / 0202 / लेखा / ब0आ0-42 / 2005-06 दिनांक 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005-06, अनुदान संख्या-30, लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार ,03-प्रशिक्षण, 003-दस्तकारी तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02-अनुसूचित जनजाति का कल्याण, 01-दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रुद्रप्रयाग आदि आई0टी0आई0 में नये व्यवसाय खोला जाना आयोजनागत के पक्ष में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तरांचल शासन देहरादून के शासनादेश सं0-1624 / VIII / 13-प्रशि0 / 2005, दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06, अनुदान संख्या- 30 लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार ,03-प्रशिक्षण, 003-दस्तकारी तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02-अनुसूचित जनजाति का कल्याण, 01-दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रुद्रप्रयाग आदि आई0टी0आई0 में नये व्यवसाय खोला जाना आयोजनागत हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार / रुद्रप्रयाग / काण्डा / दिनेशपुर में नये व्यवसायों हेतु मशीनें साज-सज्जा उपकरण एवं संयत्र का क्रय करने के लिए मानक मद 26-मशीनें साज-सज्जा उपकरण एवं संयत्र में रू0- 50 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की प्राप्ति स्वीकृति का बजट आवंटन पत्र निम्न प्रतिबन्धों एवम् निर्देशों के अधीन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । यह आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।

1. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वतन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का आवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने से बजट मैनुवल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो । जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक हो वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्यता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये । व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

2. उक्त योजना के अर्न्तगत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्भ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना युनिश्चित किया जायेगा ।

3. व्यय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स ,डी0जी0एस0एण्डडी की दरों अथवा शर्तों, टेण्डर / कोटेशन आदि के विषयक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. उक्त धनराशि से कराये जा रहे कार्यों / क्रय किये जा रहे उपकरणों का मदवार / धनराशिवार विवरण शासन / निदेशालय को एक - एक प्रति में 31-3-2006 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

5. उपकरणों का क्रय एस0सी0वी0टी0 के मानकों के अनुसार किया जायेगा । जिन आई0टी0आई0 में पुराने उपकरणों के पुराने होने के कारण प्रतिस्थापन किया जा रहा है उन स्थानों के पुराने निष्प्रयोज्य उपकरणों के प्रतिस्थापन की कार्यवाही अर्जित राशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी ।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवम् अन्य आदेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय 31-3-2006 तक सुनिश्चित कर लिया जाये ।

........2..........

8. वित्तीय वर्ष 2005–06, अनुदान संख्या– 30, लेखाशीर्षक 2230– श्रम तथा रोजगार , 03– प्रशिक्षण, 003– तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02–अनुसूचित जनजाति का कल्याण, 01–दिनेशपुर,काण्डा, टनकपुर, रुद्रप्रयाग आदि आई० टी० आई० में नये व्यवसाय खोला जाना आयोजनागत के मानक मद 26–मशीने साज–सज्जा / उपकरण एवं संयत्र के नामे डाला जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2005–06 अनुदान सं0–30

लेखाशीर्षक: 2230–03–003–02–01 आयोजनागत (धनराशि लाख रू0 में)

मद संख्या एवं मद का नाम	प्रधानाचार्य / आहरण वितरण अधिकारी राजकीय औ0प्र0संस्थान, युवक हल्द्वानी पूर्व आवटंन	वर्तमान आवटंन	योग
1	2	3	4
26– मशीनें साज – सज्जा उपकरण एवं संयत्र	–	50	50
योग	–	50	50

(रू0 पचास लाख मात्र)

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मासिक व्यय विवरण 11–सी , बी0एम0– 08 तथा राजस्व प्राप्ति का जनपद स्तर पर संकलित विवरण एवम् कोषागार से प्राप्त रिकंसिलेशन शीट प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक निदेशालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें , विलम्ब से प्राप्त होने वाली सूचना के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

भवदीय,

(डा0 पी0एस0 गुसांई)
निदेशक।

8406-14

पृष्ठांकन संख्या : /डीटीईयू/0202/ब0आ0–42/2005–06 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– कोषाधिकारी, हल्द्वानी ।
2– संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिशिक्षु) कुमायूं मन्डल हल्द्वानी ।
3– सचिव, श्रम एवम् सेवायोजन उत्तरांचल शासन देहरादून ।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
5– वित्त अनुभाग–3 ,उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
6. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन /
7. एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय ।
8. जिलाधिकारी नैनीताल ।

(डा0 पी0एस0 गुसांई)
निदेशक।